जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.05.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *__श्री सत्यजीत गुप्ता__* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

थाना धनघटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता चन्द्रभान पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी मलौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 आनन्द कुमार दूबे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3313 द्वारा मारपीट में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 3313 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत झुंगिया से कालर ने मारपीट में घायल 02 महिलाओं (1.लालमति पत्नी गौतम 2.पायल पुत्री गौतम निवासीगण ग्राम झुंगिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल महिलाओं को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 शिवशंकर चौबे, हो0चा0 झिनकू मौर्या।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 143 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।